भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2822**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ऑस्ट्रेलिया को फलों का निर्यात

2822. श्री देवुसिंह चौहान:
श्री राजकुमार चाहर:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नए बाजारों में ताजे फलों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ख) क्या इस व्यापार उपलब्धि से भारतीय किसानों को विशिष्ट लाभ प्रदान करने के लिए कोई योजना है, और उन्हें अतिरिक्त सहायता देने की भी कोई योजना है;
(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की जा रही है कि भारतीय कृषि निर्यात वैश्विक पादप स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों को पूरा कर सके; और
(घ) सरकार द्वारा शीघ्र खराब हो जाने वाले कृषि उत्पादों के समुद्री माल परिवहन की लागत दक्षता में वृद्धि करने के लिए क्या नई रणनीतियां तैयार की जा रही है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): वाणिज्य विभाग कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से अपने सदस्य निर्यातकों, जिनमें आस्ट्रेलिया को निर्यात करने वाले भी शामिल हैं, को अपनी वित्तीय सहायता स्कीम (एफएएस) के माध्यम से फलों सहित अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस स्कीम के घटक निम्नवत हैं:

i. निर्यात अवसंरचना का विकास
ii. गुणवत्ता विकास
iii. बाजार विकास

वित्तीय सहायता दिशानिर्देशों का विवरण एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in पर "योजना" टैब के अंतर्गत उपलब्ध है।

उपर्युक्त के अलावा, एपीडा ऑस्ट्रेलिया सहित नए बाजारों में ताजे फलों के लिए बाजार पहुंच प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन (एनपीपीओ) के सहयोग से कार्य करता है। इसके परिणामस्वरूप, भारत ने (i) सर्बिया में भारतीय आलू और प्याज; (ii) कनाडा में बेबी कॉर्न और ताजा केले; (iii) ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सर्बिया और न्यूजीलैंड में अनार के बीजों; (iv) विकिरण उपचार के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में साबुत अनार के लिए बाजार पहुंच प्राप्त की है।
इसके अलावा, व्यापार के विस्तार के रूप में, किसानों को बाजार के बढ़ते अवसरों का लाभ मिलता है, जिससे उनकी उपज की मांग बढ़ती है और बेहतर मूल्य प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रही है, जो फलों सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है।

(ग) : यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय कृषि निर्यात वैश्विक फाइटोसैनिटरी और गुणवत्ता मानकों को पूरा कर सकें , आयात करने वाले देश की आवश्यकताओं के अनुसार, जागरूकता/क्षमता निर्माण/बेहतर कृषि पद्धतियों (जीएपी) पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम का विकास, फार्म पंजीकरण, पैकहाउसों का पंजीकरण और मान्यता, अवशिष्ट प्रबंधन योजना का विकास और कार्यान्वयन जैसी पहलें एपीडा द्वारा पौध संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय (डीपीपीक्यूएंडएस), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएंडएफडब्ल्यू) और राज्य सरकारों जैसे हितधारकों के साथ निकट समन्वय में की जा रही हैं।

(घ): सरकार फलों जैसे शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के लिए समुद्री प्रोटोकॉल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर ऑस्ट्रेलिया सहित लंबी दूरी के बाजारों में अधिक मात्रा में निर्यात संभव हो सकेगा। एपीडा ने कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के सहयोग से अनार और केले के निर्यात के लिए समुद्री प्रोटोकॉल विकसित किए हैं तथा आम, अनानास, अदरक और संतरे के लिए प्रोटोकॉल विकसित किए जा रहे हैं।

******